पेश करने की हिदायत की जाती है

11/6/19 अप्रार्थी गण उप० नहीं अप्रार्थी नं. 5, 7, 8 बावजूद सूचना के उप० नहीं सो कार्यवाही एकतरफा की जाती है। तलबी अप्रार्थी नं. 4 बजरिये Reg. AD हस्ब दि० 10/7/19 को पेश हो।

सन्तोष

10/7/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब ...अवकाश... पधारे है। सो पत्रावली कार्य आदेशानुसार दिनांक...19/7/19 को पेश हो

19/7/19 अप्रार्थी उप० है अप्रार्थी नं. 4 बावजूद सूचना के उप० नहीं है सो कार्यवाही एकतरफा की जाती है वास्ते बहस दि० 19/8/19 को पेश है

19/8/19 अप्रार्थी उप० है वास्ते बहस समय चाहा सो दि० 11/9/19 को पेश हो

11/9/19 [redacted] साहब टोंक पधारे ...जाती गत आदेशानुसार दिनांक 25/9/19 को पेश हो

25/9/19 अप्रा० प्रार्थी उप०। बहस सुनी गयी। संक्षेप में वाकेआत इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर $\frac{144/684}{0.20}$, $\frac{432/782}{0.12}$, $\frac{495}{0.34}$, $\frac{496}{0.50}$, $\frac{497}{0.16}$, $\frac{498}{0.23}$, $\frac{499}{0.21}$, $\frac{500}{0.19}$, $\frac{501}{0.13}$, $\frac{502}{0.13}$, $\frac{503}{0.14}$, $\frac{504}{0.13}$, $\frac{505/747}{0.11}$ वाके ग्राम रतवाड़ा ख. नं. $\frac{345}{0.12}$, $\frac{346}{0.10}$, $\frac{347}{0.11}$, $\frac{348}{0.12}$, $\frac{349}{0.50}$, $\frac{231}{0.43}$, $\frac{232}{0.42}$, $\frac{233}{0.43}$, $\frac{234}{0.44}$, $\frac{309}{0.53}$, $\frac{310}{0.11}$, $\frac{311}{0.15}$, $\frac{312}{0.29}$ वाके ग्राम अंगलात केरली व आ० ख० नं० $\frac{212}{0.07}$, $\frac{213}{0.10}$, $\frac{214}{0.04}$, $\frac{215}{0.07}$, $\frac{216}{0.23}$ वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में स्थित है मुस्तखा

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	के वारिसान लाला, रूप्पा, उदा, रामचन्द्र है। लाला के वारिसान काना, हजारी, मनभर है। रूप्पा के केसर व काना, उदा के का नन्दा तथा रामचन्द्र के वारिसान नन्दूराम, शंकरलाल, गीता, कुमां है। काना जाति बिरादरी के रीति रिवाज के मुताबिक रूप्पा के गोद चला गया था। रूप्पा के केसर व काना वारिस हुए केसर ने अपने हिस्से का एक भाग भी काना के हक में कर दिया है। गोद जाने के बाद जो लाला की विरासत का नामान्तकरण भरा गया उसमें भी काना का नाम अंकित हो गया। जबकि काना रूप्पा के गोद चला गया गोद जाने के बाद में काना का लाला के नाम की जमीन में कोई हक हिस्सा नहीं रहा। लाला की विरासत का नामान्तकरण काना ने अपने नाम भरवाया था वह गलत है। दुरुस्त किये जाने योग्य है। काना के मन में बेईमानी आ गयी है और अपने नाम का गलत फायदा उठाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वे आराजी को खुर्द बुर्द कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को नातलाफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी। अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजियात से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। आराजियात उक्त को रहन, बय, बख्शीश, बैनाम, अन्तरण नहीं करें।
	प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गयी।
	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नकल जमाबन्दी खाता सं. 12 सम्वत् 2072-75 वाके ग्राम रतवाड़ा, खाता सं. 15,16 सम्वत् 2071-74 वाके ग्राम जंगलात केरली, खाता सं. 11 सम्वत् 2072-75 वाके ग्राम गोपालपुरा तथा प्रार्थीया सरजू का शपथ पत्र पेश किया।	
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन कि अप्रार्थीगण बिना विधिवत तकासमा करवाये ही आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल करते हुए बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कानूनन कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड सहखातेदार हैं इसलिए उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है वैसे भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जा चुकी है।	
अत: उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध तो फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वे आ. ख. नं. $\frac{144/684}{0.20}$, $\frac{432/782}{0.12}$, $\frac{495}{0.34}$, $\frac{496}{0.50}$, $\frac{497}{0.16}$, $\frac{498}{0.23}$, $\frac{499}{0.21}$, $\frac{500}{0.19}$, $\frac{501}{0.13}$, $\frac{502}{0.13}$, $\frac{503}{0.14}$, $\frac{504}{0.13}$, $\frac{505/757}{0.11}$ कुल किता 13 रकबा 2.59 हे० वाके ग्राम रतवाड़ा, आ०ख० नं. $\frac{345}{0.12}$, $\frac{346}{0.11}$, $\frac{347}{0.11}$, $\frac{348}{0.12}$, $\frac{349}{0.50}$ किता 5 रकबा 0.96 हे०, व ख. नं. $\frac{231}{0.43}$, $\frac{232}{0.42}$, $\frac{233}{0.43}$, $\frac{234}{0.44}$, $\frac{309}{0.53}$, $\frac{310}{0.11}$, $\frac{311}{0.15}$, $\frac{312}{0.29}$ किता 8 रकबा 2.80 हे० वाके ग्राम जंगलात केरली तथा आ. ख. नं. $\frac{212}{0.07}$, $\frac{213}{0.10}$, $\frac{214}{0.04}$, $\frac{215}{0.07}$, $\frac{216}{0.23}$ किता 5 रकबा 0.51 हे० वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील टोडाभीम से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। आराजियात को रहन, बय, बख्शीश, बैनाम, अन्तरण नहीं करें। उपपंजीयक/तहसीलदार को निर्देश है उक्त आराजियात बाबत रहन, बय, बख्शीश, बैनामा, अन्तरण, विलेख, तस्दीक व पंजीकरण न करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। हुक्म से इत्तला सुनाया गया। संलग्न मूल वाद रहे।	